



2026:AHC:31926-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका सं. - 3224 सन् 2026

मुश्ताक अहमद शाह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ.प्र. राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)

: अमृता कश्यप

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)

: जी.ए.

न्यायालय सं. - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए को सुना।
2. याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दिनांक 15.09.2024 की एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश गोवध अधिनियम, 1955 की धारा 3/5ए/8 और बीएनएस, पुलिस स्टेशन बेलीपार, जिला गोरखपुर की धारा 109 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 0322 सन् 2024 को जन्म दिया गया है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह से निर्दोष है और गुप्त उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी अपराध का खुलासा नहीं किया गया है और इस तरह, याचिकाकर्ता के खिलाफ आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द किया जा सकता है।
4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने उक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता गोपालगंज, बिहार का स्थायी निवासी है और एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार, यह दर्शाता है कि वह घटना स्थल पर मौजूद था और कहा जाता है कि वह घटना स्थल से भाग गया था और उसका नाम एफआईआर में जगह लेता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि वध के उद्देश्य से राज्य के बाहर मवेशियों के परिवहन का गंभीर आरोप लगाया गया है और यहां तक कि जिस वाहन पर मवेशियों को ले जाया जा रहा था, उसके पंजीकरण नंबर, चेसिस और इंजन नंबर के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार और उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध का स्पष्ट रूप से खुलासा किया गया है, इसलिए, तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जेलानी (2017) 2 एससीसी 779, निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 में रिपोर्ट की गई के मामलों में और और आपराधिक अपील संख्या 843 सन् 2024 प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों और विद्वान एजीए द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता गोपालगंज, बिहार का स्थायी निवासी है और एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार, इससे पता चलता है कि वह घटना स्थल पर मौजूद था और कहा जाता है कि वह घटना स्थल से भाग गया था और उसका नाम प्राथमिकी में जगह मिली है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वध के उद्देश्य से राज्य के बाहर मवेशियों के परिवहन का गंभीर आरोप लगाया गया है और यहां तक कि जिस वाहन पर मवेशियों को ले जाया जा रहा था, उसके पंजीकरण नंबर, चेंसिस और इंजन नंबर के साथ छेड़छाड़ की गई है, हम इस स्तर पर हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। इसके अलावा, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से और विद्वान एजीए द्वारा की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए और विद्वान एजीए द्वारा उद्धृत कानून को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का स्पष्ट रूप से खुलासा किया गया है, इस प्रकार, हमारी राय है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है, इसलिए, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।
6. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता उपयुक्त न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत/नियमित जमानत के लिए आवेदन करता है, तो उसकी जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा और कानून के अनुसार यथाशीघ्र निस्तारित किया जाएगा।
7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका का अंततः निस्तारण किया जाता है।

फरवरी 12, 2026

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"